

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही विवरण

19/03/25

वकील वादी उपना वकील वादी को कार-कार
 अवसर दिये जाने के बाद भी प्रतिवादीगण
 के सम्मन कस नहीं किये गये हैं तथा ना ही
 प्रतिवादी को सम्मन जारी करने हेतु कोई
 प्रयास किया गया है अतः वादी का वाकपत्र
 अयम परवी अयम हाजरी में ~~ब्याजिन~~ किया
 जाता है पत्रावली फेसला शुमार होकर
 वंकर से काम की जाकर दायित्व दफतर
 ही।

Devgandhi
 उपखण्ड अधिकारी
 तारानगर (चूरु)